:: न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी : **लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्र.सं. : 141/2017
सीएनआर नं : **RJJW08-000317-2017**

राजस्थान राज्य

---------अभियोगी

बनाम

1. पुरीलाल पुत्र कल्याण उम्र 42 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0)

2. लालचंद पुत्र कल्याण उम्र 35 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0)

------अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 186, 189 भा.द.स.</u>

उपस्थित:-

01. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02. श्री दुर्गाशंकर गोयल, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक:- 12-05-2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना घाटोली द्वारा एक इस्तगासा धारा 186, 189 भादस का इस न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसमें प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 03/01/17 समय 4.25 पी.एम. पर मन थानाधिकारी संजय प्रसाद को जर्ये मुखबीर सुचना मिली कि एक व्यक्ति हाट चोक घाटोली मे नशे के शराब मे मोटर साईकिल से गिरा पडा है। बाजार में आने जाने वालो से गाली गलोच कर रहा है एवंम बोकडे बोल रहा है। इस सुचना पर मन एस.एच.ओ. मय जाप्ता श्री रामेश्वर कानि. 1044 व श्री नरेन्द्र कानि.922, श्री महावीर कानि. 318 मय जीप सरकारी चालक श्री सुनिल कुमार कानि. 924 के मय जीप सरकारी मय अनुसन्धान बाक्स ब्रेथएनालाईजर के हाट चौक कस्बा घाटोली पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति धोती कमीज व गर्म कोट पहने हुये जमीन पर गिरा पडा था एवं गाली गलौच कर रहा था जो बावर्दी जाप्ता व जीप को देखकर अपनी मोटरसाईकिल से भागने का प्रयास करने लगा जिसको मन एस.एच.ओ. व जाप्ता ने घेरा देकर रोका व नाम पता पुछा तो उसके मुंह से शराब की बदबु आ रही थी तथा जबान बोलते समय लडखडा रहीं थी जिसको धारा 185 एम.वी.एक्ट में मोके पर ही गिरफ्तार किया गया एव गैरसायल के कब्जे से मिली मोटरसाइकिल बिना नम्बरी हीरो स्पलेण्डर पल्स बरंग काला इन्जन नम्बर HA10ERG4K15458 व चेचिस न. MBL.HA10CGG4K15407 को धारा 185.207 एम.वी.एक्ट मे जप्त कर समय 5.55 पी.एम

पर वापस थाना आये। वापसी पर गैरसायल को बन्द हवालात किया गया। समय 6.35 पी. एम पर गैरसायल पूरीलाल की नियमानुसार जमानत भरकर जमीनदार जगदीश के साथ दुरुस्त हालत में रुक्सत किया गया। समय 6.45 पी.एम. पर लालचन्द पुत्र कल्याण निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली के जोश में थाना परिसर में आये व लालचंद ने कहा कि मेरे भाई पूरीलाल को आपने गलत बंद किया है जो गलत है। उसने कोई शराब नही पी रखी थी आपने पहले भी हमारे घाटोली के मकान में ताश का झुठा केस लगाया है। आपको यहां रहना होगा तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा नही तो हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे। उक्त दोनों को मौजूदा जाप्ता ने भी काफी समझाया व बताया कि आपके भाई पूरीलाल ने हाट चौट में शराब पीकर मोटरसाइकिल को लहराता हुआ पकडा है जिसका हमने ब्रेकएनेलाईजर से शराब संबंधित परीक्षण भी किया है फिर भी उक्त दोनों नही माने व कहते रहे कि हम आपको नौकरी करना सिखा देंगे व झुठे केस में फंसा देंगे व इनकी वर्दी फडवा दुंगा।..............इत्यादि

02. उक्त इस्तगासा धारा 186, 189 भादस में अभियुक्तगण पुरीलाल व लालचंद के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर दिनांक 7–02–2017 को प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 186, 189 भादस का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

03. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू–1	रामेश्वर
पी.डब्ल्यू–2	गोपालसिंह
पी.डब्ल्यू–3	महावीर

अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
निल	निल	निल

04. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य

होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, तथा कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झुठा फंसाया गया है। उसके साथ संजय सिंज, फतेहसिंह व रामनिवास ने दिनांक 3.01.2017 को शाम 4.30 बजे मारपीट की थी जिससे बचने के लिए उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची
बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची
बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
निल	निल	निल

05 दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

07. उभय पक्षकारान के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

> 01. **"क्या अभियुक्तगण पूरीलाल व जगदीश द्वारा दिनांक 3–01–2017 समय 6.45 पीएम ग्राम मौजा दुर्जनपुरा थाना घाटोली के थाना परिसर में आकर थाने में मौजूद जाप्ते को जो लोक सेवक की श्रेणी में**

आते है, को उसके वैध सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई तथा उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देकर उसके कर्तव्य पालन में भय उत्पन्न किया?''

02. **यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डित हो?**

08. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण का गवाह रामेश्वर पीड–01 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 03.01.2017 को पुलिस थाना घाटोली में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी श्री संजय प्रसाद के साथ वह तथा कानि० महावीर, नरेन्द्र मय सरकारी जीप चालक सुनिल मुखबीर से मिली सुचना के अनुक्रम में हाट चौक घाटोली पहुंचे। जहां एक व्यक्ति धोती कमीज व गरम कोट पहनें जमीन पर गिरा पडा हुआ था और वह गाली गलौच कर रहा था। पुलिस जीप को देखकर अपनी मोटरसाईकिल से भागने की कोशिश करने लगा। जिसे घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। मोटरसाईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्पलेन्डर प्लस को धारा 185,207 एमवी एक्ट में जब्त कर वापस थाना आएं। गैरसायल को बंद हवालात किया। गैरसायल पूरीलाल की जमानत भरकर जामिनदार जगदीश के साथ रूख्सत किया। करीब पौने सात बजे के लगभग लालचंद तंवर थाना परिसर में आएं और कहनें लगा कि ''आपने मेरे भाई पूरीलाल को झूठा फंसाया है आपकी वर्दी उतरवा दूंगा'' की धमकी देने लगा। उन्होंने पूरीलाल व लालचंद को काफी समझाया फिर भी नहीं मानें और गालियां देते रहें। झूठे केस में फंसाने की धमकी देते रहें।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दिनांक 03.01.2017 को 4 बजकर 25 मिनट पर थाने से रवाना हुए। वह थाने की जीप से गए थे। थाने की जीप में वह स्वयं रामेश्वर, संजय प्रसाद थानेदार और नरेन्द्र व महावीर कानि. बैठे थे। इस सुझाव से इन्कार किया कि फतेहसिंह व रामनिवास भी साथ में हो तथा संजय जी मीणा व फतेहसिंह व रामनिवास ने पुरीलाल के साथ पट्टों व हाथो लातों से मारपीट कर पूरीलाल को जीप में डाल दिया हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि संजय मीणा ने पूरीलाल के साथ हाथों लातो व पट्टों से मारपीट की हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि वह उस समय संजय मीणा के अधीन थाना घाटोली पर ही कार्यरत था। इस सुझाव से इन्कार किया कि पूरीलाल के हाथों पर, पैरों व कुल्हें पर शरीर पर चोटें आई हुई थी। शराब के नशे में गिरने पड़ने से आई हुई थी। वह फूलचंद तंवर दुर्जनपुरा, रोशन तंवर दुर्जनपुरा अगर यह लोग वहां घटना स्थल पर मौजुद हो तो वह यह नहीं कह सकता। क्योंकि वह इन्हें नहीं पहचानता। इस सुझाव से इन्कार किया कि संजय जी मीणा ने यह धमकी दी हो कि तुमने अगर ज्यादा दादागिरी की तो अफीम के झूठे मुकदमें में फंसा दूंगा। इस सुझाव से इन्कार किया कि पूरे गांव वालों के सामने संजय जी मीणा

ने और उनके साथ जो गए थे उन लोगों ने मारपीट कर गाली गलौच किया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि वापसी थाना होकर पूरीलाल को संजय जी मीणा ने लोकअप में बंद किया था। इस सुझाव से इन्कार किया कि संजय मीणा ने अपने आप को बचाने के लिए मुलजिम पूरीलाल व लालचंद के विरूद्ध धारा 186 व 189 भा.द.स. का मुकदमा दर्ज कर दिया हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि पूरीलाल मीणा ने शराब नहीं पी रखी हो और वहां पर किसी तरह का हंगामा व घटना नहीं किया हो। यदि संजय जी मीणा, फतेहसिंह और रामनिवास के विरूद्ध इसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो तो उसे जानकारी नही है।

09. फिर गवाह पी.ड 2 गोपालसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.01.2017 को पुलिस थाना घाटोली में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसकी तहरीर रोजनामचा की ड्यूटी थी। 4 बजकर 25 मिनट पर संजय जी थानेदार को कोई सूचना मिली। उस सूचना के अनुक्रम में मय जाप्ता के रवाना हुए। हाट चौक से पूरीलाल पुत्र कल्याण को पकड़कर लाएं। एक मोटरसाईकिल बिना नम्बरी को जब्त कर साथ लाएं थे। पूरीलाल ने शराब पी रखी थी। थाने पर उसका जमानतदार उसका भाई लालचंद आया। जिसके साथ पूरीलाल को रूख्सत कर दिया। जिसके बाद 6 बजकर 45 मिनट पर दोनों भाई थाने पर आकर गाली गलोच करने लगे, कहने लगे पुलिस वालों ने उनके उपर झूठा मुकदमा बनाया है कि हम उनकी वर्दी उतरवा देंगे।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि संजय जी मीणा एस.एच.ओ घाटोली व फतेहसिंह व रामनिवास के विरूद्ध इसी न्यायालय में दिनांक 03.01.2017 की घटना का प्रकरण का दर्ज हो रहा तो उसकी जानकारी में नहीं है। पूरीलाल को जब संजय जी मीणा थाने पर लेकर आए थे तो पूरीलाल को उसने देखा था। उसने उसकी चोटों को नहीं देखा केवल पूरीलाल को ही देखा था। उसने रोजनामचा में पूरीलाल की चोटों को देखकर लिखने का प्रयास भी नहीं किया। संजय मीणा, फतेहसिंह व रामनिवास ने पूरीलाल के साथ मारपीट की हो तो उसे पता नहीं क्योंकि वह थाने पर ही था। जिस गाड़ी को जप्त किया था उस मोटरसाईकिल के चैसिस नं. व इंजन नम्बर क्या थे वह नहीं बता सकता। इस सुझाव से इन्कार किया कि वह थानेदार जी के अधीन होने की वजह से उसने रोजनामचें में उनके कथनानुसार डाली हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि थानेदार जी ने अपने आप को बचाने के लिए पूरीलाल व लालचंद के विरूद्ध धारा 186, 189 भा.द.स. का झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो।

10. फिर गवाह पी.ड 3 महावीर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.01.2017 को थाना घाटोली में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 4.25 पीएम पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाट चौक में शराब पीकर गाली गलोच कर रहा था। जिस पर थानाधिकारी श्री संजय प्रसाद मीणा, रामेश्वर कानि. 1044, नरेन्द्र कानि. 922 मय जीप सरकारी चालक सुनील कुमार के रवाना होकर हाट चौक घाटोली पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से उठ–पड़ रहा था तथा आने–जाने वालों लोगों को गाली गलोच कर रहा था, जो पुलिस जाप्ता को देखकर मोटरसाईकिल को लेकर जाने लगा जिसको हमराही जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ा, जिसका नाम पता पूछा तो जीभ लड़खड़ा रही थी तथा शराब पी रखी थी। जिसके पास की मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस को धारा 185, 207 एम वी एक्ट में जप्त कर गैर सायल पुरीलाल का ब्रीथ एनालाएजर से शराब संबंधी परीक्षण कर थाने पर लेकर आए जिसको धारा 185, 207 एमवी एक्ट में बंद हवालात कर सुपुर्द पहरा संतरी किया जिसकी नियमानुसार जमानतदार जगदीश के द्वारा जमानत देने पर थाने से रूख्सत किया। थोड़ी देर बाद उसका भाई लालचंद थाने पर आया जिसने कहा कि "आपने मेरे भाई को गलत पकड़ा है, पहले भी आपने हमारे खिलाफ हमारे मकान में झूठा ताश का केस लगा दिया था। आपको यहां रहना है तो हमारे हिसाब से काम करना होगा''। जिस पर थानाधिकारी ने कहा कि "आपके भाई ने शराब पी रखी थी। हमने शराब संबंधी परीक्षण भी किया है, हमने कोई गलत कार्यवाही नही की"। इसके बावजूद भी पुरीलाल और लालचंद दोनों भाई नहीं माने।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि पुरीलाल की गाड़ी किसने जप्त की थी, समय उसे याद नहीं है। गाड़ी जप्त की उसका चेचिस नम्बर, इंजन नम्बर याद नहीं है। मोटरसाईकिल जप्त की वो स्थान हाट चौक घाटोली है। हाट चौक में दुकाने खुली हुई थी, लोग बैठे हुए थे। हाट चौक भीड़ भाड़ वाला स्थान है, जहां पर लोग बैठे रहते है। मोटरसाईकिल जप्त की उसका कोई स्वतंत्र गवाह नही बनाया। पुरीलाल उसकी मोटरसाईकिल से दुर्जनपुरा जा रहा हो तो उसे पता नही है। इस सुझाव से इन्कार किया कि पुरीलाल को मोटरसाईकिल को थाने की जीप आगे लगा कर रोकी हो तथा थानेदार संजय जी और फतेहसिंह वगैरा ने पुरीलाल को रोक कर उसको मां बहन की गालियां दी हो और हाथों लातों से मारपीट की हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि पुरीलाल को रोक कर सार्वजनिक स्थान हाट चौक में ले गए हो तथा उसके हाथों पैरों व गुप्तांगो पर मारपीट की हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि इससे बचने के लिए पुरीलाल के खिलाफ झूठा मुकदमा 185, 207 एम.वी. एक्ट का मुकदमा बनाया हो तथा उससे बचने के लिए धारा 186, 189 भादस का झूठा मुकदमा बनाया हो। यह उसे पता नहीं है कि 186, 189 भादस में मुलजिम पुरीलाल स्वास्थ्य परीक्षण कराया

और ना ही धारा 185, 207 एमवी उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कहासुनी वाली घटना थाना परिसर में हुई परंतु उसका समय उसे याद नही है। उस समय प्राईवेट आदमी वहां मौजूद हो तो उसे पता नही है। कहासुनी वाली बात की रिकाडिंग की गई और ना ही फोटोग्राफी की गई। वह उस समय थानाधिकारी के अधीन थाना घाटोली में ही कार्यरत था। उसी घटना का मुकदमा थानेदार जी संजय जी मीणा और फतेहसिंह के खिलाफ पुरीलाल मुलजिम के द्वारा दर्ज कराया हो तो उसकी जानकारी में नही है। इस सुझाव से इन्कार किया कि पुरीलाल को थानेदार जी ने जान बूझकर लॉकअप में बंद किया हो।

11. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध इस्तगासा मुख्य रूप से इस आधार पर पेश किया गया है कि जब अभियुक्त पूरीलाल के मुँह से शराब की बदबू आने पर तथा उसके द्वारा मोटरसाइकिल भगाने का प्रयास करने पर उसे धारा 185 एमवी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। तथा नियमानुसार जमानत भरकर जमींदार जगदीश के साथ दुरुस्त हालत में रुखसत किया गया। तो उसी समय 6:45 पी.एम. पर अभियुक्त लालचंद थाना परिसर में आये और कहने लगे कि आपको यहाँ रहना होगा तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा नहीं तो हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे। जब थाने में मौजूदा जाप्ता ने उनको काफी समझाया व बताया कि पूरीलाल ने हाट चौक में शराब पीकर मोटरसाइकिल को लहराते हुए पकड़ा है जिसकी उन्होंने शराब संबंधित परीक्षण भी किया है किंतु वह दोनों नहीं माने और कहते रहे कि हम आपको नौकरी करना सिखा देंगे। व झूठे केस में फँसवा देंगे। इस संबंध में अभियुक्तगण ने कथन अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में यह अंकित करवाया है कि उनके साथ संजय सिंह, फतेह सिंह व रामनिवास ने दिनांक 31/2017 को शाम 4:30 बजे मारपीट की थी जिससे बचने के लिए इन लोगों ने मुलजिमान पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तथा इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा द्वारा प्रकरण सं 137/2018, पूरीलाल बनाम संजय वगैरह का प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 20/6/2018 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

12. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो गवाह रामेश्वर पीडब्ल्यू 1 है जो जिरह में इस बात को स्वीकार करता है कि पूरीलाल के हाथ–पैर पर व कुल्हे पर शरीर पर चोटें आई हुई थी जो शराब के नशे में गिरने पड़ने से आई हुई थी। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 3 महावीर है जो जिरह में यह कथन करता है कि यह उसे पता नहीं है कि धारा 186, 189 भादस में मुलजिम पूरीलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया हो और ना ही धारा 185, 207 एमवी एक्ट में उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया हो। थाने पर कहासुनी वाली घटना की

रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी नहीं की गई है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो जहाँ इस्तगासे में यह अंकित किया गया है कि उन्होंने अभियुक्त पूरीलाल को धारा 185, 207 एमवी एक्ट के तहत उसका शराब संबंधित मुआयना भी करवाया था किंतु पत्रावली पर ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधित मुआयना उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि गवाह गोपाल सिंह पीडब्ल्यू 2 है जो मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि पूरीलाल ने शराब पी रखी थी तथा थाने पर उसका जमानतदार उसका भाई लालचंद आया था जबकि इस्तगासे में जमानतदार जगदीश को बताया गया है। अभियुक्त द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से प्रकट होता है कि दिनांक 5.01.2017 को अभियुक्तगण द्वारा संजय प्रसाद थानाधिकारी पुलिस थाना घाटोली व फतेह सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना घाटोली एवं रामनिवास पुलिस थाना घाटोली के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा मे इस्तगासा पेश कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 3–1–2017 मंगलवार के दिन शाम को 4:30 बजे की बात है। फरियादी कस्बा घाटोली से अपने निवास स्थल ग्राम दुर्जनपुरा मोटरसाइकिल से जा रहा था। रास्ते में पुलिस थाना घाटोली की एक जीप प्रार्थी की मोटरसाइकिल के आगे खड़ी कर संजय मीणा पुलिस थाना घाटोली ने फरियादी को रोककर फरियादी को मोटरसाइकिल से उतारकर मुलजिम संजय मीणा, फतेह सिंह कानि० व रामनिवास कानि० व तीन चार अन्य पुलिसकर्मी पुलिस थाना घाटोली द्वारा फरियादी को मां बहन की गालियां निकालकर उसके साथ हाथों व लातों से मारपीट कर फरियादी को जीप में पटक कर हाट चौक घाटोली में लाकर बीच बाजार में सार्वजनिक स्थान पर सभी मुलजिमान द्वारा हाथों लातों व पट्टों से मारपीट की गई। इसके बाद मुलजिमान फरियादी को पुलिस थाना घाटोली ले जाकर बिना कारण के लॉकअप में बंद कर दिया व थानाधिकारी द्वारा फरियादी को नंगा कर उसके साथ हाथों पट्टों से मारपीट की गई। जिसके कारण फरियादी के दोनों हाथों व पैरों व मुंह पर चोटें आई। फरियादी को मुलजिम द्वारा बिना कारण ही लॉकअप में बंद किए जाने का कारण गवाह लालचंद तंवर थाना घाटोली आए तो मुलजिमान द्वारा गवाह लालचंद के साथ भी मारपीट की गई। व मुलजिमान एक लगायत तीन द्वारा फरियादी व गवाहन को धमकी दी गई कि "ज्यादा दादागिरी करोगे तो अफीम के झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। हम पुलिस वाले हैं"। पुलिस थाना घाटोली के समक्ष 100–200 लोगों का हुजूम प्रदर्शन करने लगा। तब मुलजिम संजय द्वारा फरियादी को शाम को 7:00 बजे जमानत पर छोड़ दिया था। उक्त इस्तगासे पर न्यायालय द्वारा प्रकरण सं 137/18, उनवान पूरीलाल बनाम संजय वगैरह में संजय मीणा, फतेह सिंह व रामनिवास के विरुद्ध धारा 341, 323, 342/34, 504, 500 भादस का अपराध प्रथम दृष्टया में प्रसंज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध होने से उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया है। पत्रावली में गवाह महावीर पीडब्ल्यू 3 स्वयं यह कथन करता है कि

मुलजिम पूरीलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया हो तो उसे पता नहीं है तथा धारा 185, 207 भादस में उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया हो तो भी उसे पता नहीं है तथा घटना की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह पूर्ण रूप से अस्वीकार नही किया जा सकता है कि फरियादीगण द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध इस्तगासा उनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण से बचने के लिए किया गया हो।

13. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को आरोपित अपराध में अभियुक्तगण के मामले को संदेह से परे साबित करना होता है किंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं में संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उपरोक्त समस्त विवेचानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण पूरीलाल व जगदीश द्वारा दिनांक 3–01–2017 समय 4.25 पीएम ग्राम मौजा दुर्जनपुरा थाना घाटोली के थाना परिसर में आकर आपने लोक सेवक को उसके वैध सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई तथा उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देकर उसके कर्तव्य पालन में भय उत्पन्न किया।

14. उपरोक्त समस्त विवेचानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में यह साबित नहीं होता है कि क्या अभियुक्तगण पूरीलाल व जगदीश द्वारा दिनांक 3–01–2017 समय 4.25 पीएम ग्राम मौजा दुर्जनपुरा थाना घाटोली के थाना परिसर में आकर आपने लोक सेवक को उसके वैध सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई तथा उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देकर उसके कर्तव्य पालन में भय उत्पन्न किया।

15. अतः अभियुक्तगण 1. पुरीलाल पुत्र कल्याण उम्र 42 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0), 2. लालचंद पुत्र कल्याण उम्र 35 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0) पर आरोपित अपराध धारा 186, 189 भादस में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

16. अतः **अभियुक्तगण 1. पुरीलाल पुत्र कल्याण उम्र 42 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0), 2. लालचंद पुत्र कल्याण उम्र 35 साल निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड (राज0) पर आरोपित अपराध धारा 186, 189 भादस के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

17. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
जिला झालावाड राज0

18. निर्णय आज दिनांक 12–05–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
जिला झालावाड राज0

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

साक्षी चावला
स्टेनो ग्रेड–III

नोट:– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.18 12:35:46 IST